रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2017/फाल्गुन 25, 1938
No. 751] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2017/PHALGUNA 25, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

का. आ. 837(अ).— महाराष्ट्र राज्य में उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य, नागपुर और बांद्रा जिलों के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में घोषित करने के लिए एक भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. **2544**(अ) तारीख 17 सितम्बर, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

और, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां 06 अक्टूबर, 2015 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर जनता को उपलब्ध कराई गईं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के दो जिले नागपुर और बांद्रा के संगम पर स्थित है जिसके पूर्वी ओर वेनगंगा नदी स्थित है । उमरेर करहन्डाला अभयारण्य के वन क्षेत्र में ऐतिहासिक, आर्थिक और औषधीय गुण के स्थल हैं और **63.230 वर्ग किलोमीटर** के क्षेत्र तक फैला हुआ है;

और, उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य तारीख 29 जून, 2012 को महाराष्ट्र राज्य सरकार संख्या डब्ल्यूएलपी.2012/सीआर.186/एफ-1, की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है;

और, अभयारण्य पक्षी जीवजन्तु के लिए जाना जाता है जिसमें पक्षियों की प्रजातियों में *पर्टोकेल्स इन्डसस* (पेंट रेड मुर्ग पक्षी), *पावो क्रिस्टटस* (मोर), *गैलस सोननेतीई* (ग्रे जंगल मुर्गी), *पेर्डिक्स पेर्डिक्स* (ग्रे तीतर), *टर्निक्स मेलानोगस्टर* (ब्लैक

ब्रेस्टेड बटेर), *टर्निक्स ससेसिटर* (भारतीय बस्टर्ड बटेर), *कोलाबा लाइविया* (ब्लू रॉक कबूतर), *ग्रुस ग्रुस* (सामान्य सारस), *ग्रस एंटीगोन* (ससर सारस), *स्पिलोपेलीया चिनेसिस* (स्पॉटीड फ़ाख़ता), *नेटटापस कॉरोमेन्डेलियनस* (कॉटन चैती), *डेंड्रॉसीन जावानीका* (लेसर व्हिस्टलिंग चैती), *जिप्सी इंडसस* (इंडियन गिद्ध), *बुबो ज़ीलोनेंसिस* (ब्राउन फिश उल्लू), *कैरेल रूडी* (पेड किंगफिशर), *टर्डोइड्स स्ट्रेटाटा* (जंगल बैबलर), *डायक्र्यूरस मैक्रोकर्कस* (ब्लैक ड्रोंगो), *साइनाकोट्रा क्रिस्टटा* (ब्लू जै), आदि सम्मिलित हैं;

और, क्षेत्र में बहुत अधिक जीवजन्तु और वनस्पति विविधता के साथ 22 स्तनपायियों की प्रजातियां, लगभग 25 सरीसृपों की प्रजातियां और उभयचर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और इस क्षेत्र के वनस्पति **"5 ए/दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों"** के द्वारा द्योतक है जैसे *टेकटोना ग्रांडिस* (टीक), *मंगिफेरा इंडिका* (आम), *साइजीगियम कुमिनी* (जामुन), *डाल्बर्गिया लैटिफोलिया* (शिशम), *हार्डविकिया बिनाटा* (अंजन), *टर्मिनलिया बेलारिका* (बेहाडा), *टर्मिनलिया टोमेंटोसा* (ऐन), *मधुका इंडिका* (महुआ), *ब्यूटा मोनोस्पार्मा* (पलास), *इराईथ्रिना इंडिका* (पंगारा), *अकेशिया कैटेचु* (खैर), *गरुगा पेंटाटा* (काकड), *अजादिराछा इंडिका* (नीम), *फिकस रेसमोसा* (अम्बेर) आदि वृक्षों और *करिसा कारांडास* (कारवंड), *बारलेरिया प्रोनिटाइटीस* (कोरंती), *स्ट्रोबिलैन्थस कॉलोसस* (करवी), विटेक्स निकुंडो (निरगुडी) आदि झाड़ियां सम्मिलित हैं;

और, क्षेत्र महत्वपूर्ण वन्यजीव जैसे *पैंथेरा टिगरिस* (बाघ), *पैंथेरा पार्डस* (तेंदुआ), *हैना हैना* (धारीदार लकड़बग्घा), *क्यून अल्पाइनस* (भारतीय डोल), *कैनिस ऑरियस इंडिकस* (सियार), *वुल्प्स बेंगलेंसिस* (भारतीय लोमड़ी), *बोसेलैफस ट्रेगोमेमेलस* (नीलगाय), *रुसा यूनिकोलर* (सांभर), *एक्सिस एक्सिस* (चित्तल), *फेलिस चौस* (जंगली बिल्ली), *वीवर्रिकुला इंडिका* (लघु भारतीय मुश्कबिलाव), *मुनिटास मंटजैक* (मुंजक), *हर्पेस्टेस एडवर्ड्सई* (सामान्य ग्रे नेवला), मेलुरसरस अरसिनस (रीछ), आदि का संभरण है;

और, पूर्वोक्त वर्णित अभयारण्य का गठन करते हैं, कि मानव पर्यावास और चालू विकास क्रियाकलापों से अति निकटता उचित सुरक्षोपायों और ऐसे क्रियाकलापों पर समुचित नियंत्रण की अपेक्षाओं को आवश्यक बनाती है;

और, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना **उपाबंध-I** में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और बांद्रा जिलों में उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य की बाहरी सीमा से 63.230 वर्ग किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र** को उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर **63.230 वर्ग किलोमीटर** है । उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के बांद्रा जिले के पौवनी तालुका और नागपुर जिला के भिवापुर, कुही और उमरेदा तालुका के कुछ ग्रामों में उत्तर अक्षांश 22^0 50' 01'' से 21^0 37' 02'' और पूर्व देशांतर 79^0 00' 25" से 79^0 26' 10" के बीच स्थित है । पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा **उपाबंध I** में दी गई है ।

(2) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) भू-समकक्ष संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिक संवेदी जोन अधिसूचना के **उपाबंध III** तथा अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी । उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज,

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार के कारक तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(8) आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मानीटरी के कृत्यों के पालन हेतु एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

IndiaCode

(1) **भू-उपयोग —** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और निम्नलिखित क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं जो पारिस्थितिक पर्यटन को समर्थित करती है, जिसके अंतर्गत होम स्टे है, और;

(v) पैरा 4 के अधीन दी गई प्रोन्नत गतिविधियां:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.—** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा क्रमश: राज्य सरकारों के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य की एक किलोमीटर सीमा के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के; परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन तक नए होटलों और रिसार्टों को स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए दी जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण—**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण बोर्ड विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेंगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय यातायात—**परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) **औद्योगिक इकाईयां—** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या उसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण—**पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

क. आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ख. कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(16) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन, पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।

(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के चालू रह सकते हैं ।
(8)	बड़े वाणिज्यिक पशुधन और मुर्गी पालन फार्मों द्वारा फर्मों, कॉरपोरेट, कंपनियों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए के सिवाय, लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधी पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा, जो भी निकटतर हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटत्तर हो अनुज्ञात नहीं होगा । परन्तु यह कि स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं, जिनके अंतर्गत पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया होंगे : परन्तु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले उद्योगों से संबंधित संन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।
(12)	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	स्थानीय लोगों की पेयजल या कृषि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना)
(15)	अवसंरचना जिसके अंतर्गत नागरिक सुविधाएं हैं ।	शमन उपायों के साथ लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(20)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	ध्वनि प्रदूषण ।	राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों का अनुपालन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन उपदर्शित उपबंधों के अनुसार करेंगे ।
(28)	कृषि या अन्य उपयोग हेतु खुले हुए कुएं, बोरवेल आदि।	विनियमित और इस क्रियाकलाप की समुचित प्राधिकारी द्वारा सख्ती से मानीटरी की जानी चाहिए ।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

संवर्धित क्रियाकलाप		
(32)	डेयरी, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(40)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(41)	निम्नकोटिकृत भूमि/वनों/वास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति—(1) केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, नागपुर जिला - अध्यक्ष;

2. कलेक्टर, बांद्रा जिला का प्रतिनिधि - सदस्य;

3. जिला परिषद्, नागपुर जिला का प्रतिनिधि - सदस्य;

4. जिला परिषद्, बांद्रा जिला का प्रतिनिधि - सदस्य;

5. गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य;

6. पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

7. क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागपुर जिला - सदस्य;

8. पेंच व्याघ्र परियोजना, नागपुर जिला के मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य;

9. क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार, नागपुर जिला - सदस्य;

10. क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार, बांद्रा जिला - सदस्य;

11. महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य;

12. जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

13. उप वन संरक्षक, बांद्रा - सदस्य;

14. उप वन संरक्षक, नागपुर – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश और निबंधन—

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

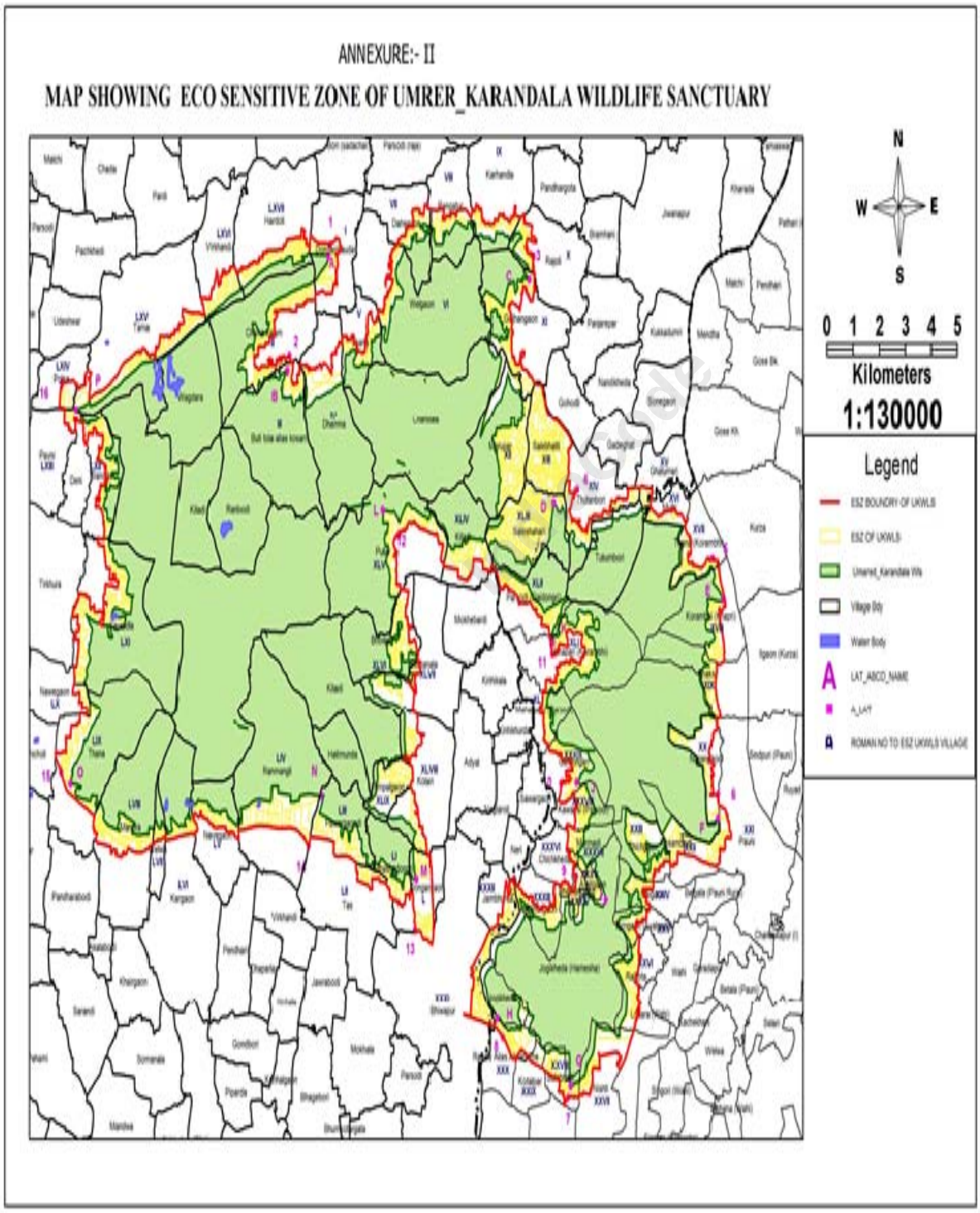
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

IndiaCode

उपाबंध I

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक					
क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
ए	20° 54' 41.600"	79° 28' 46.407"	आई	20° 47' 11.073"	79° 34' 47.829"
बी	20° 53' 24.025"	79° 27' 49.842"	जे	20° 48' 36.316"	79° 34' 06.952"
सी	20° 54' 20.556"	79° 33' 13.990"	के	20° 50' 11.343"	79° 33' 38.900"
डी	20° 51' 47.073"	79° 33' 42.189"	एल	20° 51' 45.849"	79° 29' 55.340"
ई	20° 50' 37.031"	79° 37' 25.172"	एम	20° 47' 30.709"	79° 30' 35.185"
एफ	20° 48' 06.232"	79° 37' 15.110"	एन	20° 48' 29.946"	79° 28' 30.340"
जी	20° 45' 04.658"	79° 33' 57.171"	ओ	20° 48' 43.401"	79° 22' 58.285"
एच	20° 45' 52.672"	79° 32' 20.578"	पी	20° 53' 00.543"	79° 23' 11.297"

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक					
क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	20° 54' 50.539"	79° 28' 48.650"	9	20° 47' 30.317"	79° 34' 06.605"
2	20° 53' 34.773"	79° 27' 53.054"	10	20° 48' 33.892"	79° 33' 48.160"
3	20° 54' 38.569"	79° 33' 17.808"	11	20° 50' 04.032"	79° 33' 38.427"
4	20° 51' 56.150"	79° 34' 13.401"	12	20° 51' 28.674"	79° 30' 15.434"
5	20° 51' 06.559"	79° 37' 11.169"	13	20° 46' 56.324"	79° 30' 32.476"
6	20° 48' 23.072"	79° 37' 15.831"	14	20° 47' 56.186"	79° 28' 12.127"
7	20° 44' 58.321"	79° 33' 53.638"	15	20° 48' 51.370"	79° 22' 44.813"
8	20° 45' 39.207"	79° 32' 27.789"	16	20° 53' 20.950"	79° 22' 50.809"

उपाबंध-II

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के प्रस्तावित संरक्षिक क्षेत्र के आस-पास स्थित उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र जिले के नागपुर और भान्दरा के बीचों बीच स्थित है, उत्तर में 22^0 50' 01'' से 21^0 37' 02'' उत्तरी अक्षांश और पूर्व में 79^0 00' 25" से 79^0 26' 10" पूर्वी देशांतर तक है जिसका विवरण निम्नवत है :—

उत्तरी सीमा : पोलसा, तारना, विरखण्डी, हरदोली, डोंगरमौदा, चिकना-टुकुम्ब, केसोरी (बूटीटोला), धमना, थाणा, वेलगांव, दहेगांव, रेंगटूर, करहन्डाला, रजौली, गोथनगांव, सलेभट्टी, ठोटनबोरी, घाटउमरी और थाणा (कोराम्बी) ग्राम।

पूर्वी सीमा : कोराम्बी (खपरी), खाकसी, नगनगाव, कुसुमबोदी, चिचगांव, नयेगांव, नीमगांव (अवलगांव), राजकोटा, लोहारा (वही) और निश्ती ग्राम।

दक्षिणी सीमा : सलेभट्टी, कोटलापर, रनाला (अन्नपूर्णा), भिवापुर, डोंगरगाव, महसदडोंगरी, तस, पवरगोंदी, रंमनगली, नवेगांव, करगांव, वेलवा, मनोरा और थाणा ग्राम।

पश्चिमी सीमा : नवेगांव (साधु), करहान्डाला, वनोदा और पावनी ग्राम।

उपाबंध-III

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
I	नागपुर	कुही	डोंगरमौदा	79° 29' 00.401"	20° 55' 04.054"
II	नागपुर	कुही	चिकना	79° 27' 35.637"	20° 53' 52.078"
III	नागपुर	कुही	केसोरीबूटी	79° 28' 00.679"	20° 53' 17.218"
IV	नागपुर	कुही	धमना	79° 28' 40.436"	20° 52' 57.414"
V	नागपुर	कुही	थाणा	79° 29' 26.702"	20° 53' 47.174"
VI	नागपुर	कुही	वेलगांव	79° 30' 10.108"	20° 54' 14.619"
VII	नागपुर	कुही	दहेगांव	79° 30' 29.861"	20° 55' 11.015"
VIII	नागपुर	कुही	रेंगटूर	79° 31' 25.752"	20° 55' 08.877"
IX	नागपुर	कुही	करहन्डाला	79° 32' 28.013"	20° 55' 29.689"
X	नागपुर	कुही	रजोली	79° 33' 48.150"	20° 54' 31.006"
XI	नागपुर	कुही	गोथानगांव	79° 32' 59.083"	20° 53' 47.184"
XII	नागपुर	भिवापुर	मरुपर	79° 32' 38.537"	20° 52' 27.819"
XIII	नागपुर	भिवापुर	सलेभट्टी	79° 33' 30.225"	20° 52' 26.996"
XIV	नागपुर	भिवापुर	टुटनबोरी	79° 34' 51.625"	20° 51' 02.043"
XV	नागपुर	भिवापुर	घाटुमरी	79° 36' 05.205"	20° 52' 04.152"
XVI	बांद्रा	पावनी	मुजबी	79° 36' 13.114"	20° 51' 43.923"
XVII	बांद्रा	पावनी	थाणा (कोरामबी)	79° 36' 50.256"	20° 51' 18.049"
XVIII	बांद्रा	पावनी	कोरोमबी (खपरी)	79° 37' 04.166"	20° 50' 29.867"
XIX	बांद्रा	पावनी	खाकशी	79° 37' 11.986"	20° 49' 45.710"
XX	बांद्रा	पावनी	नागनगांव	79° 37' 00.888"	20° 48' 55.288"
XXI	बांद्रा	पावनी	पावनी	79° 38' 13.000"	20° 47' 36.230"
XXII	बांद्रा	पावनी	कुसुमबोदी	79° 36' 16.214"	20° 47' 44.872"
XXIII	बांद्रा	पावनी	चिचगांव	79° 35' 39.037"	20° 47' 50.107"
XXIV	बांद्रा	पावनी	नयेगांव	79° 35' 46.886"	20° 47' 16.843"
XXV	बांद्रा	पावनी	नीमगांव (अवालगांव)	79° 35' 30.991"	20° 46' 56.811"
XXVI	बांद्रा	पावनी	राजकोटा	79° 35' 20.552"	20° 46' 22.437"
XXVII	बांद्रा	पावनी	निशती	79° 34' 31.613"	20° 45' 01.130"
XXVIII	बांद्रा	पावनी	सलेभट्टी	79° 33' 48.364"	20° 45' 12.102"
XXIX	बांद्रा	पावनी	कोटलापर	79° 33' 28.237"	20° 45' 05.259"
XXX	बांद्रा	पावनी	रनाला	79° 33' 56.921"	20° 47' 03.771"
XXXI	नागपुर	भिवापुर	भिवापुर	79° 31' 10.420"	20° 45' 52.710"
XXXII	नागपुर	भिवापुर	जमभुरदा	79° 32' 14.630"	20° 47' 43.770"
XXXIII	बांद्रा	पावनी	पहुनगांव	79° 33' 25.683"	20° 47' 05.331"

IndiaCode

XXXIV	बांद्रा	पावनी	धामनगांव	79° 34' 09.524"	20° 47' 14.591"
XXXV	बांद्रा	पावनी	अवलगांव	79° 34' 31.748"	20° 47' 24.440"
XXXVI	बांद्रा	पावनी	चिचखेड़ा	79° 33' 36.864"	20° 47' 44.321"
XXXVII	बांद्रा	पावनी	मुरमदी	79° 34' 25.962"	20° 47' 50.824"
XXXVIII	बांद्रा	पावनी	कवादसी	79° 34' 15.502"	20° 48' 18.315"
XXXIX	बांद्रा	पावनी	गायडोंगरी	79° 33' 57.464"	20° 48' 55.711"
XL	बांद्रा	पावनी	महलगांव (परसोदी)	79° 33' 24.794"	20° 49' 23.242"
XLI	बांद्रा	पावनी	खपरी (कोरामबी)	79° 33' 58.193"	20° 50' 04.938"
XLII	बांद्रा	पावनी	परसोदी (गायडोंगरी)	79° 33' 23.192"	20° 50' 37.968"
XLIII	नागपुर	भिवापुर	सलेशहरी	79° 33' 00.665"	20° 51' 26.042"
XLIV	नागपुर	भिवापुर	खितादी-गोथादी	79° 31' 45.257"	20° 51' 32.844"
XLV	नागपुर	भिवापुर	पुल्लार	79° 30' 27.706"	20° 51' 25.850"
XLVI	नागपुर	भिवापुर	भावरी	79° 30' 15.596"	20° 50' 14.996"
XLVII	नागपुर	भिवापुर	सोमनाला	79° 31' 10.662"	20° 49' 44.635"
XLVIII	नागपुर	भिवापुर	कोलरी	79° 30' 56.499"	20° 48' 46.909"
XLIX	नागपुर	भिवापुर	पीमपलगांव	79° 29' 51.497"	20° 48' 26.751"
L	नागपुर	भिवापुर	डोंगरगांव	79° 30' 50.655"	20° 47' 30.777"
LI	नागपुर	भिवापुर	महसडोंगरी	79° 30' 06.766"	20° 47' 59.135"
LII	नागपुर	भिवापुर	तास	79° 28' 49.214"	20° 47' 28.800"
LIII	नागपुर	भिवापुर	पवरगोंदी	79° 29' 01.891"	20° 48' 16.389"
LIV	नागपुर	भिवापुर	रनमंगली	79° 27' 41.655"	20° 48' 34.991"
LV	नागपुर	भिवापुर	नवेगांव (देशमुख)	79° 26' 14.984"	20° 48' 03.052"
LVI	नागपुर	भिवापुर	करगांव	79° 25' 23.59"	20° 46' 59.840"
LVII	नागपुर	भिवापुर	वेलवा	79° 24' 49.801"	20° 48' 01.293"
LVIII	नागपुर	भिवापुर	मनोरा (रिठी)	79° 24' 05.780"	20° 47' 47.612"
LIX	नागपुर	उमरेर	थाणा	79° 23' 12.236"	20° 49' 11.763"
LX	नागपुर	उमरेर	नवेगांव (साधु)	79° 22' 29.748"	20° 49' 54.528"
LXI	नागपुर	उमरेर	करहन्डाला	79° 23' 41.844"	20° 50' 59.356"
LXII	नागपुर	उमरेर	वनोदा	79° 23' 44.825"	20° 52' 10.904"
LXIII	नागपुर	उमरेर	पावनी	79° 22' 26.643"	20° 52' 30.774"
LXIV	नागपुर	कुही	पोलसा	79° 22' 51.230"	20° 53' 25.862"
LXV	नागपुर	कुही	तरना	79° 24' 34.015"	20° 53' 59.761"
LXVI	नागपुर	कुही	विरखन्डी	79° 26' 16.156"	20° 54' 48.085"
LXVII	नागपुर	कुही	हरडोली	79° 27' 39.346"	20° 55' 02.965"

IndiaCode

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों (67 सं.) की सूची

भिवापुर तहसील, नागपुर जिला (22 ग्रामों)

पुल्लार, भावरी, सोमनाला, पीमपलगांव, कोलरी, डोंगरगांव, महसडोंगरी, तास, पवरगोंदी, रनमंगली, नवेगांव (देशमुख), करगांव, वेलवा, मनोरा, मरुपुर, सलेभट्टी, खितादी-गोथादी, सलेशहरी, टुटनबोरी, घाटुमरी, भिवापुर, जमभुरदा

उमरेर तहसील, नागपुर जिला (5 ग्रामों)

थाणा, करहान्डाला, वनोदा, पावनी, नवेगांव (साधु)

कुही तहसील, नागपुर जिला (15 ग्रामों)

तरना, विरखन्डी, हरडोली, डोंगरमौदा, चिकना, केसोरीबूटी, धमना, थाणा, पोलसा, वेलगांव, दहेगांव, रेंगटूर, करहन्डाला, रजोली, गोथानगांव।

पावनी तहसील, बांद्रा जिला (25 ग्रामों)

मुजबी, थाणा (कोरामबी), कोरोमबी (खपरी), खाकशी, नागनगांव, कुसुमबोदी, चिचगांव, नयेगांव, सलेभट्टी, पहुनगांव, चिचखेड़ा, धामनगांव, अवलगांव, मुरमदी, कवादसी, गायडोंगरी, महलगांव (परसोदी), खपरी, परसोदी (गायडोंगरी), राजकोटा, नीमगांव (अवालगांव), रनाला, निशती, कोटलापर, पावनी।

उपाबंध-V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

[फा. सं. 25/44/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2017

S.O. 837(E).—WHEREAS, a draft notification, declaring Eco-Sensitive Zone around Umred Karhandla Wildlife Sanctuary in Nagpur and Bhandara Districts in the State of Maharashtra was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 2544 (E), dated 17 September 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the Public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the Public on website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change on 6th October, 2015;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government.

WHEREAS, the Umred Karhandla Wildlife Sanctuary, is located on the junction of Nagpur and Bhandara in Maharashtra with Wainganga River on Eastern side and the said Sanctuary is having historical, economic and medicinal values and spread over an area of **63.230** square kilometres**;**

AND WHEREAS, the Umred Karhandla Wildlife Sanctuary is notified vide notification of the Government of Maharashtra number WLP. 2012/C.R.186/ F-1, dated the 29thJune, 2012;

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for avifauna with species of birds including *Pterocles indicus* (Painted sand grouse), *Pavo cristatus* (Peacock), *Gallus sonneratii* (Grey jungle fowl), *Perdix perdix* (Grey partridge), *Turnix melanogaster* (Black breasted quail), *Turnix suscitator* (Indian bustard quail), *Columba livia* (Blue rock pigeon), *Grus grus* (Common Crane), *Grus antigone* (Sarus crane), *Spilopelia chinensis* (Spotted Dove), *Nettapus coromandelianus* (Cotton teal), *Dendrocygna javanica* (Lesser Whistling teal), *Gyps indicus* (Indian Vulture), *Bubo zeylonensis* (Brown fish owl), *Ceryle rudis* (Pied kingfisher), *Turdoides striata* (Jungle babbler), *Dicrurus macrocercus* (Black drongo), *Cyanocitta cristata* (Blue jay), etc;

AND WHEREAS, the area has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, about 25 species of reptiles and many species of amphibian are found and the flora of this area is represented by "5A/Southern tropical DryDeciduous Forests" including species like *Tectona grandis* (Teak), *Mangifera indica* (Mango), *Syzygium cumini* (Jamun), *Dalbergia latifolia* (Sisham), *Hardwickia binata* (Anjan), *Terminalia bellarica* (Behada), *Terminalia tomentosa* (Ain), *Madhuca indica* (Mahua), *Butea monosperma* (Palas), *Erythrina indica* (Pangara), *Acacia catechu* (Khair), *Garuga pinnata* (Kakad), *Azadirachta indica* (Neem), *Ficus racemosa* (Umber), etc. among trees and *Carissa carandas* (Karvand), *Barleria prionitis* (Koranti), *Strobilanthes callosus* (Karvi), *Vitex negundo* (Nirgudi), etc., among shrubs;

AND WHEREAS, the area also supports important wildlife such as *Panthera tigris* (Tiger), *Panthera pardus* (Leopard), *Hyaena hyaena* (Striped Hyena), *Cuon alpinus* (Indian Dole), *Canis aureus indicus* (Jackal), *Vulpes bengalensis* (Indian fox), *Boselaphus tragocamelus* (Nilgai), *Rusa unicolor* (Sambar), *Axis axis* (Chital), *Felis chaus* (Jungle Cat), *Viverricula indica* (Small Indian Civet), *Muntiacus muntjak* (Barking Deer), *Herpestes edwardsii* (Common Grey Mongoose), *Melursus ursinus* (Sloth bear), etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the aforesaid Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundaries of which are specified in **Annexure-I** of this notification, around the protected area of Umred Karhandla Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 63.230 square kilometres around the outer boundry of the Umred Karhandla Wildlife Sanctuary in Nagpur and Bhandara Districts in the State of Maharashtra as the Umred Karhandla Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of **63.230** square kilometres with an extent of 130 meters to 2.5 kilometres around the protected area of Umred Karhandla Wildlife Sanctuary situated including villages of Bhiwapur, Kuhi and Umred taluka of Nagpur District and Paoni Taluka of Bhandara District of Maharashtra between North 22^0 $50^{'}$ 01'' to 21^0 $37^{'}$ 02'' Lattitude and between East 79^0 $00^{'}$ 25" to 79^0 26' 10" Longitude. The boundary description of Eco-sensitive Zone is given in **Annexure - I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure - II.**

(3) The Geo-coordinates of protected area and the Eco-sensitive Zone are appended to this notification as **Annexure- III** and the list of the villages falling within Eco-Sensitive Zone with latitude and longitude is annexed as **Annexure - IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for the following activities, namely.

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Umred Karhandla Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, however, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes.—**Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343(E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management.—**The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.—**The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial units.—**(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed to be established within Eco-sensitive Zone as per the Central Pollution Control Board's categorisation.

(15) Protection of hill slopes.—The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

16. The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption and for other activities.

		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21th April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use, production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law:
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided further that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per applicable building byelaws: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.
12.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws to meet the drinking water or agricultural requirement of locals.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

IndianCode

17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Uses of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws and efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution	Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.
26.	Noise pollution	Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986
27.	Open Well, Bore Well ,etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the concerned appropriate authority.
28.	Solid Waste Management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
30.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the Umred Karnadhla Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
35.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.
37.	Agro Forestry	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

1.	Collector, Nagpur District	Chairman;
2.	A Representative of Collector, Bhandara District	Member;
3.	A Representative of Zilla Parishad, Nagpur District	Member;

4.	A Representative of Zilla Parishad, Bhandara District	Member;
5.	A representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three years in each case	Member;
6.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case	Member;
7.	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Nagpur District	Member;
8.	A Representative of Chief Conservator and Field Director, Pench Tiger Project, Nagpur District	Member;
9.	Senior Town Planner of the area, Nagpur District	Member;
10.	Senior Town Planner of the area, Bhandara District	Member;
11.	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
12.	Member of State Biodiversity Board	Member;
13.	Deputy Conservator of Forests, Bhandara	Member;
14.	Deputy Conservator of Forests, Nagpur	Member Secretary.

IndiaCode

6. Terms of Reference.—

(1) The tenure of monitoring committee shall be for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal .

Annexure I

Boundary description of proposed Eco-sensitive Zone of Umred Karhandla Wildlife Sanctuary, Maharashtra

The proposed Eco-Sensitive Zone around the protected area of the Umred Karhandla Wildlife Sanctuary situated in the Nagpur and Bhandara Districts of Maharashtra between North 22^0 $50^{'}$ 01'' to 21^0 $37^{'}$ 02'' Lattitude and between East 79^0 $00^{'}$ 25" to 79^0 26' 10" Longitude and the boundaries of the Ecosensitive boundary of Umred Karhandla wildlife sanctuary as below:-

Northern boundary: Polsa, Tarna, Virkhandi, Hardoli, Dongarmouda, Chikna-Tukum, Kesori (Butitola), Dhamna, Thana, Welgaon, Dahegaon, Rengatur, Karhandla, Rajoli, Gothangaon, Salebatti, Thutanbori, Ghatumri and Thana (Korambi) villages.

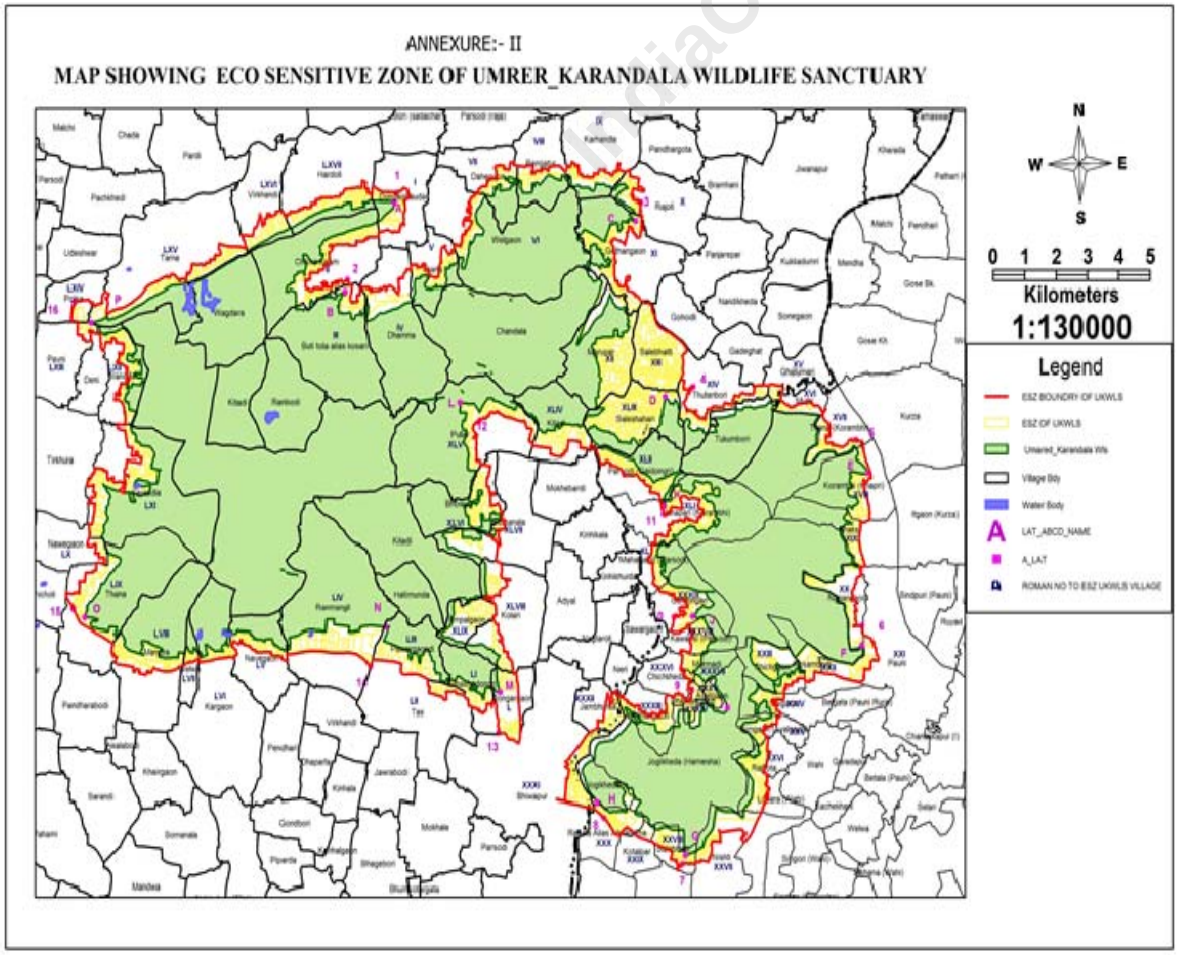
Eastern boundary: Korambi (Khapri), Khakasi, Nagangaon, Kusumbodi, Chichgaon, Naigaon, Nimgaon (Awalgaon), Rajkota, Lohara (Wahi) and Nishti village.

Southern boundary: Salebatti, Kotlapar, Ranala (Annapurna), Bhiwapur, Dongargaon, Mhasadongri, Tas, Pawargondi, Ranmangli, Navegaon, Kargaon, Welwa, Manora and Thana village.

Western boundary: Navegaon (Sadhu), Karhandla, Wanoda and Paoni village.

Annexure II

Map of Umred Karhandala Wildlife Sanctuary along with the proposed Eco-sensitive Zone around the Wildlife Sanctuary



Annexure III

Geo co-ordinates of Umred Karhandla Wildlife Sanctuary along with the co-ordinates of proposed Eco-sensitive Zone around the Wildlife Sanctuary

CO-ORDINATES OF UMRED KARHANDLA WILDLIFE SANCTUARY					
S. NO.	**LATITUDE (N)**	**LONGITUDE (E)**	**SR. NO.**	**LATITUDE (N)**	**LONGITUDE (E)**
A	20° 54' 41.600"	79° 28' 46.407"	I	20° 47' 11.073"	79° 34' 47.829"
B	20° 53' 24.025"	79° 27' 49.842"	J	20° 48' 36.316"	79° 34' 06.952"
C	20° 54' 20.556"	79° 33' 13.990"	K	20° 50' 11.343"	79° 33' 38.900"
D	20° 51' 47.073"	79° 33' 42.189"	L	20° 51' 45.849"	79° 29' 55.340"
E	20° 50' 37.031"	79° 37' 25.172"	M	20° 47' 30.709"	79° 30' 35.185"
F	20° 48' 06.232"	79° 37' 15.110"	N	20° 48' 29.946"	79° 28' 30.340"
G	20° 45' 04.658"	79° 33' 57.171"	O	20° 48' 43.401"	79° 22' 58.285"
H	20° 45' 52.672"	79° 32' 20.578"	P	20° 53' 00.543"	79° 23' 11.297"

CO-ORDINATES OF PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE AROUND UMRED KARHANDLA WILDLIFE SANCTUARY					
S. NO	**LATITUDE (N)**	**LONGITUDE (E)**	**SR. NO.**	**LATITUDE (N)**	**LONGITUDE (E)**
1	20° 54' 50.539"	79° 28' 48.650"	9	20° 47' 30.317"	79° 34' 06.605"
2	20° 53' 34.773"	79° 27' 53.054"	10	20° 48' 33.892"	79° 33' 48.160"
3	20° 54' 38.569"	79° 33' 17.808"	11	20° 50' 04.032"	79° 33' 38.427"
4	20° 51' 56.150"	79° 34' 13.401"	12	20° 51' 28.674"	79° 30' 15.434"
5	20° 51' 06.559"	79° 37' 11.169"	13	20° 46' 56.324"	79° 30' 32.476"
6	20° 48' 23.072"	79° 37' 15.831"	14	20° 47' 56.186"	79° 28' 12.127"
7	20° 44' 58.321"	79° 33' 53.638"	15	20° 48’ 51.370"	79° 22' 44.813"
8	20° 45' 39.207"	79° 32' 27.789"	16	20° 53' 20.950"	79° 22' 50.809"

IndiaCode

Annexure IV

The List of villages in Eco-sensitive Zone of Umred Karhandla WildLife Sanctuary

Sr. No	District	Tahsil	Name of Village	Longitude (N)	Latitude (E)
I	Nagpur	Kuhi	Dongarmouda	79° 29' 00.401"	20° 55' 04.054"
II	Nagpur	Kuhi	Chikna	79° 27' 35.637"	20° 53' 52.078"
III	Nagpur	Kuhi	KesoriButi	79° 28' 00.679"	20° 53' 17.218"
IV	Nagpur	Kuhi	Dhamana	79° 28' 40.436"	20° 52' 57.414"
V	Nagpur	Kuhi	Thana	79° 29' 26.702"	20° 53' 47.174"
VI	Nagpur	Kuhi	Welgaon	79° 30' 10.108"	20° 54' 14.619"
VII	Nagpur	Kuhi	Dahegaon	79° 30' 29.861"	20° 55' 11.015"
VIII	Nagpur	Kuhi	Rengatur	79° 31' 25.752"	20° 55' 08.877"
IX	Nagpur	Kuhi	Karhandala	79° 32' 28.013"	20° 55' 29.689"
X	Nagpur	Kuhi	Rajoli	79° 33' 48.150"	20° 54' 31.006"
XI	Nagpur	Kuhi	Gothangaon	79° 32' 59.083"	20° 53' 47.184"

XII	Nagpur	Bhiwapur	Marupar	79° 32' 38.537"	20° 52' 27.819"
XIII	Nagpur	Bhiwapur	Salebhatti	79° 33' 30.225"	20° 52' 26.996"
XIV	Nagpur	Bhiwapur	Tutanbori	79° 34' 51.625"	20° 51' 02.043"
XV	Nagpur	Bhiwapur	Ghatumri	79° 36' 05.205"	20° 52' 04.152"
XVI	Bhandara	Paoni	Mujabi	79° 36' 13.114"	20° 51' 43.923"
XVII	Bhandara	Paoni	Thana (Korambi)	79° 36' 50.256"	20° 51' 18.049"
XVIII	Bhandara	Paoni	Korambi (Khapri)	79° 37' 04.166"	20° 50' 29.867"
XIX	Bhandara	Paoni	Khakshi	79° 37' 11.986"	20° 49' 45.710"
XX	Bhandara	Paoni	Nagangaon	79° 37' 00.888"	20° 48' 55.288"
XXI	Bhandara	Paoni	Paoni	79° 38' 13.000"	20° 47' 36.230"
XXII	Bhandara	Paoni	Kusumbodi	79° 36' 16.214"	20° 47' 44.872"
XXIII	Bhandara	Paoni	Chichgaon	79° 35' 39.037"	20° 47' 50.107"
XXIV	Bhandara	Paoni	Naigaon	79° 35' 46.886"	20° 47' 16.843"
XXV	Bhandara	Paoni	Nimgaon (Awalgaon)	79° 35' 30.991"	20° 46' 56.811"
XXVI	Bhandara	Paoni	Rajkota	79° 35' 20.552"	20° 46' 22.437"
XXVII	Bhandara	Paoni	Nishti	79° 34' 31.613"	20° 45' 01.130"
XXVIII	Bhandara	Paoni	Salebhatti	79° 33' 48.364"	20° 45' 12.102"
XXIX	Bhandara	Paoni	Kotalpar	79° 33' 28.237"	20° 45' 05.259"
XXX	Bhandara	Paoni	Ranala	79° 33' 56.921"	20° 47' 03.771"
XXXI	Nagpur	Bhiwapur	Bhiwapur	79° 31' 10.420"	20° 45' 52.710"
XXXII	Nagpur	Bhiwapur	Jambhurda	79° 32' 14.630"	20° 47' 43.770"
XXXIII	Bhandara	Paoni	Pahungaon	79° 33' 25.683"	20° 47' 05.331"
XXXIV	Bhandara	Paoni	Dhamangaon	79° 34' 09.524"	20° 47' 14.591"
XXXV	Bhandara	Paoni	Awalgaon	79° 34' 31.748"	20° 47' 24.440"
XXXVI	Bhandara	Paoni	Chichakheda	79° 33' 36.864"	20° 47' 44.321"
XXXVII	Bhandara	Paoni	Murmadi	79° 34' 25.962"	20° 47' 50.824"
XXXVIII	Bhandara	Paoni	Kawadsi	79° 34' 15.502"	20° 48' 18.315"
XXXIX	Bhandara	Paoni	Gaidongari	79° 33' 57.464"	20° 48' 55.711"
XL	Bhandara	Paoni	Mahalgaon (Parsodi)	79° 33' 24.794"	20° 49' 23.242"
XLI	Bhandara	Paoni	Khapri (Korambi)	79° 33' 58.193"	20° 50' 04.938"
XLII	Bhandara	Paoni	Parsodi (Gaidongari)	79° 33' 23.192"	20° 50' 37.968"
XLIII	Nagpur	Bhiwapur	Saleshahari	79° 33' 00.665"	20° 51' 26.042"
XLIV	Nagpur	Bhiwapur	Khitadi-Gothadi	79° 31' 45.257"	20° 51' 32.844"
XLV	Nagpur	Bhiwapur	Pullar	79° 30' 27.706"	20° 51' 25.850"
XLVI	Nagpur	Bhiwapur	Bhawari	79° 30' 15.596"	20° 50' 14.996"
XLVII	Nagpur	Bhiwapur	Somnala	79° 31' 10.662"	20° 49' 44.635"
XLVIII	Nagpur	Bhiwapur	Kolari	79° 30' 56.499"	20° 48' 46.909"
XLIX	Nagpur	Bhiwapur	Pimpalgaon	79° 29' 51.497"	20° 48' 26.751"
L	Nagpur	Bhiwapur	Dongargaon	79° 30' 50.655"	20° 47' 30.777"
LI	Nagpur	Bhiwapur	Mhasadongari	79° 30' 06.766"	20° 47' 59.135"

IndiaCode

LII	Nagpur	Bhiwapur	Tas	79° 28' 49.214"	20° 47' 28.800"
LIII	Nagpur	Bhiwapur	Pawargondi	79° 29' 01.891"	20° 48' 16.389"
LIV	Nagpur	Bhiwapur	Ranmangli	79° 27' 41.655"	20° 48' 34.991"
LV	Nagpur	Bhiwapur	Navegaon (Deshmukh)	79° 26' 14.984"	20° 48' 03.052"
LVI	Nagpur	Bhiwapur	Kargaon	79° 25' 23.59"	20° 46' 59.840"
LVII	Nagpur	Bhiwapur	Welwa	79° 24' 49.801"	20° 48' 01.293"
LVIII	Nagpur	Bhiwapur	Manora (Rithi)	79° 24' 05.780"	20° 47' 47.612"
LIX	Nagpur	Umred	Thana	79° 23' 12.236"	20° 49' 11.763"
LX	Nagpur	Umrer	Navegaon (Sadhu)	79° 22' 29.748"	20° 49' 54.528"
LXI	Nagpur	Umred	Karhandala	79° 23' 41.844"	20° 50' 59.356"
LXII	Nagpur	Umred	Wanoda	79° 23' 44.825"	20° 52' 10.904"
LXIII	Nagpur	Umrer	Paoni	79° 22' 26.643"	20° 52' 30.774"
LXIV	Nagpur	Kuhi	Polsa	79° 22' 51.230"	20° 53' 25.862"
LXV	Nagpur	Kuhi	Tarna	79° 24' 34.015"	20° 53' 59.761"
LXVI	Nagpur	Kuhi	Virkhandi	79° 26' 16.156"	20° 54' 48.085"
LXVII	Nagpur	Kuhi	Hardoli	79° 27' 39.346"	20° 55' 02.965"

IndiaCode

Annexure IV continued---

List of villages (67 Nos) falling within the Eco-sensitive Zone

BhiwapurTahsil of Nagpur District (22 villages)

Pullar, Bhawari, Somnala, Pimpalgaon, Kolari, Dongargaon, Mhasadongari, Tas, Pawargondi, Ranmangli, Navegaon (Deshmukh), Kargaon, Welwa, Manora, Marupar, Salebhatti, Khitadi- Gothadi, Saleshahari, Tutanbori, Ghatumri, Bhiwapur, Jambhurda

Umred Tahsil of Nagpur District (5 villages)

Thana, Karhandla, Wanoda, Paoni, Nawegaon (Sadhu)

Kuhi Tahsil of Nagpur District (15 villages)

Tarna, Virkhandi, Hardoli, Dongarmouda, Chikna, Kesori Buti, Dhamana, Thana, Polsa, Welgaon, Dahegaon, Rengatur, Karhandala, Rajoli, Gothangaon.

Paoni Tahsil of Bhandara District (25 villages)

Mujabi, Thana (Korambi), Korambi (Khapri), Khakshi, Nagangaon, Kusumbodi, Chichgaon, Naigaon, Salebhatti, Pahungaon, Chichakheda, Dhamangaon, Awalgaon, Murmadi, Kawadsi, Gaidongari, Mahalgaon (Parsodi), Khapri, Parsodi (Gaidongari), Rajkota, Nimgaon (Awalgaon), Ranala, Nishti, Kotalpar, Paoni.

Annexure-V

Proforma of Action Taken Report:—Eco-sensitive Zone monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Eco-Tourism Master Plan

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006, Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/44/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.16 23:49:57 +05'30'